

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-10900\2013)/अलेसे-III/ 960

दिनांक:- 23-08-2022

कार्यालय आदेश

श्री गोविन्द राम शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय तहसीलदार सागांनेर, जयपुर को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.10(4)एफडी (ग्रुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 06.07.2022 के आधार पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(6)एफडी/नियम/2010 दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम 1200/-रुपये प्रतिमाह) वाहन भत्ते की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 06.07.2022 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-10900\2013)/अलेसे-III/ 960

दिनांक:- 23-08-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. तहसीलदार सागांनेर, जयपुर।
2. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्री गोविन्द राम शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय तहसीलदार सागांनेर, जयपुर।
4. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)